संख्या:6/2015/17एम(4)/35-आ0-1/2009-12

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राज्य योजना आयोग-1 लखनऊ:दिनांक:01 सितम्बर, 2015

विषय: 0-5 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों का आंगनबाड़ी केन्द्रों में विशेष अभियान के रूप में आधार नामांकन।

महोदय,

प्रदेश में आधार नामांकन का कार्य प्रगति पर है। इस क्रम में 0-5 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों का आधार नामांकन कार्य अभी तक 2.5 प्रतिशत हुआ है और इस वर्ग को विशेष रूप से आच्छादित किये जाने की आवश्यकता है। इस वर्ग के आधार नामांकन में मुख्य समस्या इनकी परिचय/आवास प्रमाण की उपलब्धता है। इस सम्बन्ध में यह संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय राज्यों में निवास प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अधिकृत हैं। यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा भी यह व्यवस्था विद्यमान है कि रजिस्ट्रार अपने स्तर पर आधार नामांकन हेतु वांछित दस्तावेजों के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु सक्षम हैं।

2- सम्यक् विचारोपरान्त इस सम्बन्ध में 0-5 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों के आधार नामांकन हेतु वांछित निवास प्रमाण-पत्र व सम्बन्ध प्रमाण-पत्र के दस्तावेजों के सत्यापन हेतु निम्नलिखित व्यवस्था निर्धारित की जाती है:-

1. जो बच्चे आंगनबाड़ी केन्द्रों में नामांकित है, के निवास/सम्बन्ध के दस्तावेज को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा प्रमाणित किया जा सकेगा।
2. ग्राम पंचायत अधिकारी जो परिवार रजिस्टर रखते हैं, भी इस आयुवर्ग के सभी बच्चों के उक्त दस्तावेज सत्यापन हेतु अधिकृत होंगे।
3. लेखपाल जो भू अभिलेख रखते हैं, भी इस आयुवर्ग के सभी बच्चों के उक्त दस्तावेज सत्यापन हेतु अधिकृत होंगे।

http://shrasanadesh.up.nic.in

अतः आंगनबाड़ी केन्द्रों में 0-5 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को एकत्रित करवाकर उनके आधार नामांकन कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराये जाने हेतु समस्त अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राज प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या:6/2015/17एम(4)/35-आ0-1/2009-12, तद् दिनांकः
प्रतिलिपिः

1. समस्त मण्डलायुक्त/रजिस्ट्रार, आधार परियोजना को इस अनुरोध के साथ कि वह सभी सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।
2. उपमहानिदेशक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, टी.सी./46-वी, तृतीय तल, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि समस्त नॉन स्टेट रजिस्ट्रार्स को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी करनें तथा जिलाधिकारी के साथ समन्वय करके इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करनें का कष्ट करें।

(राज प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in